

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा-नियम 1970 के नियम 24(2) ए के अनुरूप एवं अनुसूची I/II के ग्रुप एफ में संवर्गित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी (पुरुष/महिला) एवं समकक्ष पद (ग्रुप एफ) पे-बेण्ड 9300-34800 पी बी-2 ग्रेड पे 4800 में वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही के पुनरावलोकन (रिव्यू) बैठक में की गई अनुशंखाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन 15-16 दिनांक:- 12.01.16 एवं 15.01.2016 द्वारा चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है-

क्र.सं0	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थान स्थान	जन्मतिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन (व्या. हिन्दी राउमावि)
1	1627	2008-2009	सुधीर कुमार, व.अ. राउमावि वीरपुरा - सराडा (उदयपुर)	03-11-1965	बिरोठी-झाडोल फलासिया (उदयपुर)

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे। अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

संबंधित कार्मिक नियत दिनांक :- 30/04/2016 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ ही इसका इन्द्राज शालादर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(बी.एल.स्वर्णकार)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 20/4/16

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/रि.डीपीसी पदस्थापन/15-16/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
04. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) समस्त, मण्डल
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक) समस्त
06. संबंधित संस्था प्रधान
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रमारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक-कार्मिक


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**:: आदेश ::**

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रस	कार्मिक का नाम मय वर्तमान पदस्थापन	व्याख्याता विषय	अवधि	स्थान जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
01	श्री नरपत सिंह सोनगरा व्या० राउमादि बेड़ा पाली	इतिहास	नवम्बर-15 से दिसम्बर 15	राउमादि बेड़ा पाली व्या० इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।




संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-2 / वेतन व्यवस्था / 2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी / रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर


दिनांक - 20/4/2016

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/ इतिहास/स्थानान्तरण/15-16 दिनांक:-30.06.2015 के क्र0सं0 29 पर अंकित नाम ब्रिजेश शर्मा के स्थान श्रीमती गिरिजेश शर्मा पढा जावे ।


इन्हे नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/स्थानान्तरण/15-16  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक:- 20/4/2016

- 1 उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर
- 4 प्रधानाचार्य राउमावि पाली, सवाईमाधोपुर/प्र0अ0 रामावि खानपुर, सवाईमाधोपुर
- 5 श्री रामधन मीणा, राउमावि पाली, सवाईमाधोपुर
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-: आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले व्याख्याताओं (इतिहास/ वाणिज्य) के सेवा निवृत्ति आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता	आदेश क्रमांक	आदेश में क्र०सं०	सेवा निवृत्ति तिथि	मूल आदेश में अंकित कार्मिक नाम/ संस्था का नाम	संशोधित कार्मिक का नाम/ संस्था का नाम
1.	श्री रविन्द्र कुमार भटनागर व्या० इतिहास राउमावि लीलावाली, हनुमानगढ़	शिविरा-मा/संस्था/ सी-2/31853/सेवानिवृत्ति / 2016 दिनांक 29.03. 2016	15	31.01.17	रविन्द्र कुमार 20.01.57	रविन्द्र कुमार भटनागर 22.01.57

*(हस्ताक्षर)*

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016

दिनांक:- 20/4/2016

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित व्याख्याता
5. रक्षित पत्रावली

*(हस्ताक्षर)*

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर